

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक: ई/चि.अ./पी-1837/2024/ दिनांक :

—:आदेश:—

डॉ० पूजा चांदोलिया, चिकित्सा अधिकारी (जन्म तिथी 05.07.1984), (परिवीक्षाधीन) सीएचसी सावर केकडी, का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 11.04.2024 से 16.04.2024 (कुल 06 दिवस) का अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006 Pt-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जायेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./पी-1837/2024/228

दिनांक : 04/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकडी को उनके पत्रांक 2585 दिनांक 01.05.2024 के क्रम में।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी सावर, केकडी
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी राजपत्रित, मुख्यालय।
4. डॉ० पूजा चांदोलिया, चिकित्सा अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) सीएचसी सावर, केकडी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7572438

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :03-06-2024 05:18:33